



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या- 607-वि0प0(21)/पाकालि/2016-45वैपै/2007

दिनांक : मई 07, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मा0 विद्युत नियामक आयोग एवं मा0 विद्युत लोकपाल में देय फीसों को अतिक्रमित करते हुए निम्नवत् फीस के भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं०	न्यायालयों का नाम	अधिवक्ता शुल्क	विविध व्यय
1.	मा0 विद्युत नियामक आयोग	रु0 4500.00 तथा कलर्कज 10 प्रतिशत	अधिकतम रु0 3500.00
2.	मा0 विद्युत लोकपाल	रु0 3000.00 तथा कलर्कज 10 प्रतिशत	अधिकतम रु0 3000.00

2- उपरोक्त के अतिरिक्त यदि मा0 विद्युत लोकपाल द्वारा कारपोरेशन वार्डों की सुनवाई सम्बन्धित डिस्कम के मुख्यालय आगरा, वाराणसी एवं मेरठ में की जाती है तो श्री अमर जीत सिंह राखरा, स्थायी अधिवक्ता तथा एक सहायक को भी वहां जाकर पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि अधिवक्ता स्वयं का वाहन ले जाते हैं तथा वहां पर रुकना पड़ता है उस दशा में निम्नवत् यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे :-

क्रम सं०	यात्रा की दूरी	रुपये प्रति कि०मी०	
		पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
1	प्रथम 500 किमी तक	10.00	7.50
2	500 किमी से अधिक परन्तु 1200 कि०मी० तक	7.00	5.50
3-	Lodging of two persons	Rs. 2000.00	
4-	Fooding, local travelling and out of pocket expenses for two persons	Rs. 1000.00	

3- यदि अधिवक्ता रेल अथवा बस से यात्रा करते हैं तो उन्हें ए०सी०-तृतीय का वास्तविक किराया मिलेगा अथवा 02 व्यक्तियों हेतु एक मुश्त रु० 4000.00 का भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 607(1)वि0प0(21)/पाकालि/2016 तददिनांक :/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल/पश्चिमान्वल/मध्यान्वल/दक्षिणान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कैरको, कानपुर।
- 3- अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 7- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त उप विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 9- श्री अमरजीत सिंह राखरा, अधिवक्ता, 2/146 एम, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पंजीकृत

(१०) ०६

आज्ञा से,

(Signature)

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप विधि अधिकारी